कार्यालय प्राचार्य, शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर

विभिन्न योजनाओं के संबंध में आवश्यक सूचना

महाविद्यालय में प्रवेशित समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि योजनाओं का लाभ लेने पर निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें –

1. महाविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को पूर्ण शुल्क भरना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/मुख्यमंत्री मेधावी योजना/मुख्यमंत्री संबल योजना के विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी द्वारा संबंधित योजना का आवेदन ऑनलाईन करने पर तथा महाविद्यालय में हार्डकॉपी मय दस्तावेज जमा कराने पर शुल्क की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाती है, इसलिए कोई विद्यार्थी यदि प्रवेश के समय कम शुल्क भरता है तो शेष शुल्क उसे योजना का लाभ प्राप्त होने पर जमा कराना आवश्यक है।
2. अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन संबंधित वर्ग की वेबसाईट पर ऑनलाईन भरना सुनिश्चित करें तथा प्रिंटआउट एवं आवश्यक दस्तावेजों सहित महाविद्यालय में खिड़की क्रमांक 03 एवं 04 पर जमा कराना सुनिश्चित करें।
3. मुख्यमंत्री मेधावी योजना/मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को डी.टी.ई. की वेबसाईट पर पंजीकरण करवाकर आवेदन फार्म भरकर प्रिंटआउट एवं मय दस्तावेज महाविद्यालय में जमा कराना आवश्यक होगा।
4. अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों से प्रवेश के समय पूर्ण शुल्क नहीं लिया जाता है। अतः पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त होने पर शेष शुल्क आवश्यक रूप से महाविद्यालय में ऑनलाईन/ऑफ लाईन जमा कराना सुनिश्चित करें।
5. विद्यार्थी जिस योजना का लाभ लेना चाहता है, उसका ऑनलाईन/ऑफ लाईन आवेदन उसी सत्र में जमा कराया जाना आवश्यक है।
6. कोई भी विद्यार्थी किसी भी एक योजना (केन्द्रीय/राज्य स्तरीय) का लाभ ले सकता है।
7. अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थी पोस्टमेट्रिक योजना के साथ ही आवास योजना का लाभ भी ले सकते हैं।
8. गांव की बेटी एवं प्रतिभा किरण योजनाओं का लाभ छात्राएं अन्य योजनाओं के साथ ले सकती हैं।
9. विभिन्न योजनाओं के लिए पात्रता संबंधी जानकारी खिड़की नंबर 03 एवं 04 से प्राप्त कर सकते हैं।
10. सेंट्रल सेक्टर/इंस्पायर योजना/अल्पसंख्यक योजना के विद्यार्थियों को प्रवेश के समय ही पूर्ण शुल्क भरना अनिवार्य है।
11. शुल्क जमा कराने की रसीदों की छायाप्रतियॉ तथा प्रत्येक योजना के आवेदन की प्रतियॉ अनिवार्य रूप से अपने पास रखना सुनिश्चित करें, क्योंकि टी.सी. प्राप्त करते समय सभी वर्षों की प्रवेश शुल्क रसीद जमा कराना आवश्यक है।
12. टी.सी. प्राप्त करते समय विद्यार्थी को महाविद्यालय का आई.डी. कार्ड जमा कराना अनिवार्य है।

प्रशासनिक अधिकारी   प्राचार्य